



## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

Email ID-dhscggazted@gmail.com, Ph. No. 0771-2418990

क्रमांक/एफ 3-18/2016/विज्ञप्त/2198/2323

रायपुर, दिनांक 17/11/2016

प्रति,

डॉ. श्रीमती संध्या चटर्जी, डॉ. श्रीमती माया रामटेके, डॉ. अमित कुमार, डॉ.के.के सोनी, डॉ.वंदना गार्डिया, डॉ.अलख राम वर्मा, डॉ. श्यामली राय, डॉ.तृप्ती चन्द्राकर, डॉ.गौरव क्लाडियस, डॉ. मिथिलेश कुमार पारकर, डॉ. बृजेश रात्रे, डॉ. सुमन अग्रवाल, डॉ. रचना पाण्डेय, डॉ. शाहिद मेमन, डॉ. रत्ना ठाकुर, डॉ. एस. सचदेव, डॉ. राजेन्द्र बिनकार, डॉ. राकेश कुमार चाबा, डॉ. श्रीमती एस.डी. बघेल, डॉ.एस. खलको, डॉ. चन्द्रमणी मिश्रा, डॉ.संतोष आस्थाना, डॉ.प्रमोद कुमार झा, डॉ.एन.के. शर्मा, डॉ.ओ.आर. डिगरा, डॉ. अशोक कुमार सिंह राज, डॉ. के.के. देवांगन, डॉ. परिहार, डॉ. पी.के. देवांगन, डॉ. विजय कौशिक, डॉ. एस.के. टेकाम, डॉ. अकितेष चतुर्वेदी, डॉ. किरण गोविन्द लोढेकर, डॉ. शिखा सरकार, डॉ. रणजीत सिंह आर्य, डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. विद्याभूषण, डॉ. श्रीमती कल्पना चचाने, डॉ. संगीता भद्र, डॉ. सोमेन्द्र सिंह, डॉ. मनीषा गोयल, डॉ. विनिता पाण्डे, डॉ. एम.एल. कदम, डॉ. श्रीमती शोभा बेहरा, डॉ. श्रीमती रजनी साव, डॉ. प्रियंका सिंह, डॉ. जयन्त करम्भे, डॉ. अनिल कुमार जायसवाल, डॉ. अरुणिमा मिश्रा, डॉ. पुष्पा साहा, डॉ. भारती घोरे, डॉ. एन.डी. चौरसिया, डॉ. राजन्द्र कुमार जैन, डॉ. श्रीमती मधु जैन, डॉ. अशोक सिंग गुन्डाबाबरी, डॉ. श्रीमती निशा साहु, डॉ. ए.के. शर्मा, डॉ. प्रदीप मिश्रा, डॉ. डी.सी. शुक्ला, डॉ. एम.एम. अग्रवाल, डॉ. प्रदीप उपाध्याय, डॉ. ए. चन्देलकर, डॉ. श्रीमती एस. श्रीवास्तव, डॉ. विरेन्द्र सिंग, डॉ. सी.पी.सुमन, डॉ. जी.डी. पहाडिया, डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल, डॉ. श्रीमती एस.के.कोठारी, डॉ. सुरेश चन्द्र जैन, डॉ. एन.के.गुप्ता, डॉ. अशोक कुमार नागर, डॉ. ए.आर. त्यागी, डॉ. नवीन कुमार शर्मा, डॉ. जे.डी. गुप्ता, डॉ. नवल किशोर गौर, डॉ. एच.सी.मिश्रा, डॉ. डी.पी. दुबे, डॉ. राजकुमार जैन डॉ. सी.एस. जैन, डॉ. विजेता डोंगरे, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के अधीन चिकित्सक पद से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सगण ।

**विषय:- अनुपस्थिति दिनांक से त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही करने का निर्णय पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने विषयक ईशितहार ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आप संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें अन्तर्गत चिकित्सक पद पर प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओ पदस्थ रहते हुए । विगत पाँच वर्षों से अधिक अवधि से अपने पदस्थापना स्थान से बिना सूचना के अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित है । चूंकि आपकी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति अवधि पाँच वर्ष से अधिक समयावधि की हो चुकी है । ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क्रमांक320/एफ2013- 01-00099/ वि/नि/चार दिनांक 01.अगस्त 2013 (वित्तीय निर्देश क्रमांक 49/2013) प्रकाश में क्यों न अनुपस्थिति दिनांक से आपका सेवा से त्याग पत्र स्वीकृत किए जाने संबंधी आगामी कार्यवाही की जाय ? इस संबंध में पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षर के समक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, तृतीय तल स्थित कक्ष में कार्यालयीन समय में आप स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित में पक्ष प्रस्तुत करें । यदि निर्धारित समयावधि के अन्दर आप अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते अथवा आपके द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में प्रस्तुत किए पक्ष में अनुपस्थिति के संबंध में कोई दिए गये कारण समाधानकारक नहीं पाये जाते है , तो ऐसी स्थिति में प्रकरण में उल्लेखित वित्तीय निर्देश के प्रकाश में अनुपस्थिति दिनांक से आपका शासकीय सेवा त्याग पत्र स्वीकृत किए जाने संबंधी कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर आगामी निर्णय ले लिया जावेगा ।

**संचालक महोदय से अनुमोदित ।**

Se  
17/11/2016

संयुक्त संचालक(विज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.